प्रेषक

नेहा जैन,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2023**

विषयः- अपट्रान एस्टेट पनकी कानपुर स्थित भूखण्ड संख्या-14 से 32 के बकाया गृहकर ब्याज एवं चालू वर्ष हेतु गृहकर की कुल धनराशि 30.40 लाख का भुगतान 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से किये जाने के सम्बनध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीएलसी के पत्र संख्या- यूपीएलसी:आईटीपार्क:7027, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202 इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 30.40 लाख (रूपये तीस लाख, चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्निलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्डल-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया /राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के राजस्व लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्ष-2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में के नामे डाला जायेगा।

(8) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020, 18.05.2020 व 30.12.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्ता प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,40,000 (रुपये तीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072020900 आई.टी. पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्रोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

संख्या- 26 /2023/1883/002-78-01099-159-2022 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनु0-2
11. आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 उ०प्र० शासन।
12. अनु सचिव, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in